



HARYANA POLICE CITIZEN SERVICES (हरियाणा पुलिस नागरिक सेवा)

FIRST INFORMATION REPORT (Under Section 154 Cr.P.C.)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. District (ज़िला): FARIDABAD P.S. (थाना): SECTOR-31 Year (वर्ष): 2019
FARIDABAD
FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0477 Date (दिनांक): 11/10/2019
14:50

2.

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	IPC 1860	120-B
2	IPC 1860	406
3	IPC 1860	420

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1 Day (दिन): Date from (दिनांक से): Date To (दिनांक तक):
Time Period (समय अवधि): Time From (समय से): Time To (समय तक):

(b) Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 11/10/2019 Time (समय): 14:50 hrs

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ): Entry No. (प्रविष्टि सं.): 023 Time (समय): 11/10/2019
22:09 hrs

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): Written



HARYANA POLICE CITIZEN SERVICES (हरियाणा पुलिस नागरिक सेवा)

FIRST INFORMATION REPORT (Under Section 154 Cr.P.C.)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत)

5. Place of Occurrence

(घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा): WEST, 2 Km(s) Beat No. (बीट सं.):

(b) Address (पता): SRS टावर फरीदाबाद,

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):

District (State) (जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name (नाम): Sh. SUNIL KUMAR
SRIVASTAVA

(b) Father's Name (पिताका नाम): Shri B P SRIVASTAVA

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 1974 (d) Nationality (राष्ट्रीयता): INDIA

(e) UID No. (यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की तिथि): Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) Occupation (व्यवसाय):

(h) Address

(पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	Present Address	Flat NoD 1/304, SRS Residency, Sector-88, Faridabad, FARIDABAD, HARYANA, INDIA
2	Permanent Address	Flat NoD 1/304, SRS Residency, Sector-88, Faridabad, FARIDABAD, HARYANA, INDIA

(i)



HARYANA POLICE CITIZEN SERVICES (हरियाणा पुलिस नागरिक सेवा)

FIRST INFORMATION REPORT (Under Section 154 Cr.P.C.)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत)

Phone number (दूरभाष सं.):

Mobile (मोबाइल सं.):

7. Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)
1	Sh. Anil Jindal		
2	Vinod Jindal		
3	Nanak Chand Tayal		
4	Rajesh Singla		
5	Sh. Sameer Gehlot Founder and Executive Chairman		
6	Sh. Gagan Banga Vice Chairman Managing Director		
7	Sh. Ajit Kumar Mittal Executive Director		
8	Sh. Ashwani Kumar Hooda Deputy Manager Director		
9	Ms. Sonu Bharia Sr. Legal Manager		

8. Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):



HARYANA POLICE CITIZEN SERVICES (हरियाणा पुलिस नागरिक सेवा)

FIRST INFORMATION REPORT (Under Section 154 Cr.P.C.)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत)

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S. No. (क्र.सं.)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Sub Type (उप प्रकार)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. Total value of property stolen (In Rs/-) (चोरी हुई सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

श्री मान कमीशनर ऑफ पुलिस, सै. 21, फरीदाबाद । विषय :- शिकायत बावत 1- M/s SRS Real Estate Ltd., Ground Floor, SRS Mall, Sector-12, Faridabad through its Managing Director Sh. Anil Jindal, Vinod Jindal, Nanak Chand Tayal, Rajesh Singla, (Presently in Neemka Jail, Ballabgarh, Faridabad) प्रबंधक M/s Indiabulls Housing Finance Ltd., 448-451, Udyog Vihar, Phase-V, Gurgaon-122016 Sh. Sameer Gehlot Founder and Executive Chairman Sh. Gagan Banga, Vice Chairman, Managing Director Sh. Ajit Kumar Mittal, Executive Director Sh. Ashwani Kumar Hooda, Deputy Manager, Director Ms. Sonu Bharia, Sr. Legal Manager मान्यवर महोदय 1- प्रार्थी Sh. Sumil kumar Srivastava S/o Sh. B. P. Sravastava R/o Flat No. D 1/304. SRS Residency, Sector-88, Faridabad का खरीददार है जो कि प्रार्थी ने M/s SRS Real Estate Ltd. से दिनांक 17.10.2017 को रु0 49,80,000/- (Forty nine Lacs eighty thousand Only) में खरीदा था व कोई भी लेनदारी बकाया ना है प्रार्थी तब से अपने परिवार सहित उपरोक्त फ्लोर में रह रहा है। दिनांक 12-08-2017 को फ्लैट का कब्जा प्रार्थी को दे दिया था । प्रार्थी ने जो उपरोक्त Flat को खरीदने के समय bank (LICHFL) loan के द्वारा रु0 49,80,000/- (Forty nine Lacs eighty thousand Only) का भुगतान किया था व उपरोक्त दोषीगणो ने प्रार्थी को Flat की Registry कुछ समय पश्चात करने की बात कही थी प्रार्थी इस बारे दोषीगणो के पास व उनके द्वारा नियुक्त किये गये Agent के पास समय समय पर चक्कर लगाता रहा परन्तु जानबूझ कर दोषीगणो ने Flat की रजिस्ट्री न करवाई । 2- प्रार्थी को April 2018 में M/s Indiabulls Housing



HARYANA POLICE CITIZEN SERVICES (हरियाणा पुलिस नागरिक सेवा)

FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत)

Finance Ltd., 448-451, Udyog Vihar, Phase-V, Gurgaon-122016 का नोटिस जो कि M/s SRS Real Estate Ltd. के लिए था जिससे हमें पता चला कि M/s SRS Real Estate Ltd. के प्रबंधक की उपरोक्त फार्इनेसिल कम्पनी की और कोई देन दारी है जो कि M/s SRS Real Estate Ltd. ने अपनी चतवचमतजल जिस पर उपरोक्त Flat बने है को Mortgage किया था जिससे बारे में ना तो पहले कभी M/s SRS Real Estate Ltd. के प्रबंधको ने अवगत कराया और ना ही M/s Indiabulls का कोई नोटिस आया वरन Flat बेचते समय यह स्पष्ट तौर पर बताया गया था कि संज पर कोई देनदारी ना है व पूरी तरह से पाक साफ है इसी के मध्य नजर प्रार्थी ने फ्लैट को खरीदा था । उपरोक्त से स्पष्ट है कि प्रार्थी के साथ उपरोक्त दोशियों ने घेखा-धड़ी की थी और हमसे घोखे से झुठ बोल Flat No. D-1/304, SRS Residency, Sector-88, Faridabad बेचा था कि इस थसंज पर कोई देनदारी ना है । 3 प्रार्थी ने अन्य के साथ मिलकर माननीय High Court Punjab Haryana at Chandigarh में तपज फाईल की थी जिसका फैसला दिनांक 16.01.2019 जिसके अनुसार यह स्पष्ट है कि Ms Indiabulls Housing Finance Ltd. प्रबंधक अब प्रार्थी से कोई वसूली नही कर सकते और न ही प्रार्थी के संज क खिलाफ कोई कार्यवाही कर सकते है । माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार वादी ने M/s Indiabulls Housing Finance Ltd. को अपना Representation दिनांक 15-04-2019 को दिया था जिसम प्रार्थी ने यह स्पष्ट कर दिया था 1 Deed of Convevance Builder द्वारा execute नहीं की गई है जबकि उसने Flat की सारी payment कर दी है । माननीय उच्च न्यायालय का para No. 7 निम्न प्रकार से है जिससे यह स्पष्ट है कि प्रबंधक M/s Indiabulls Housing Finance Ltd. किसी भी प्रकार से Flat का possession नहीं ले सकते । 7. Learned counsel for the respondent-Bank(s) submitted that the flat owners in favour of whom the 'Deed of Conveyance' has already been executed, no action, has been initiated against them. It was claimed by the learned counsel for the Bank that action has been initiated against those, where no 'Deed of Conveyance' had been executed and amount of installments payable to respondent No.2-builder are outstanding. The learned counsel further candidly submitted that the petitioners can individually approach the Bank with a representation along with supporting documents to substantiate their claim that they had made the payments to the builder or deposited the installments with the Bank. All the cases shall be individually examined by the competent authority of the Bank and no action shall be initiated or taken against the flat owners till the individual representation filed by the petitioners is decided by the Bank. Learned counsel for respondent No.1 - Bank (in CWP Nos. 14889 29956 of 2018) and respondent No.2 - Bank (in CWP No, 16979 of 2018) prayed that a time bound direction be issued to the petitioners to file their respective representations 8.After hearing learned counsel for the parties, perusing the averments made in the writ petition and without expressing any opinion on the merits of the controversy, we dispose of the present writ petition by permitting the petitioners to individually file their detail and comprehensive representations along with supporting documents/material to substantiate their claims regarding the payments made by them and clearing the



HARYANA POLICE CITIZEN SERVICES (हरियाणा पुलिस नागरिक सेवा)

FIRST INFORMATION REPORT (Under Section 154 Cr.P.C.)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत)

outstanding dues by them to the respondent-bank within a period of three months from the date of receipt of certified copy of this order. It is, however, clarified that the respondent-Bank shall examine the representations on individual basis as stated by Sh. Rakesh Gupta and Sh. V.K. Sachdeva, learned counsel representing the respondent-Banks before this Court and decide the same after affording an opportunity of personal hearing to the representationists and by passing a speaking order, in accordance with law. It is, further, clarified that till the representations filed by the petitioners are decided, no action for taking physical possession shall be initiated by the respondent-Bank. 9. Learned counsel for respondent No. 1 - Bank submitted that permission be granted to sell the flats, which are not occupied or allotted to any of the petitioners or any other allottee. Needless to say that it shall be open for the respondent-Bank to take action in respect of those flats, which have not been allotted or are lying Vacant, in accordance with law. It is also directed that any other person aggrieved in respect of these flats, other than the petitioners, may also approach the respondent-Bank along with the representation. The respondent-bank shall adopt the similar procedure while disposing of the said representation, which shall be taken by it on the aforesaid representations. The respondent-Bank shall make endeavour to decide the representations expeditiously in a time bound manner. 4- जवाब में उपरोक्त Financial कम्पनी ने प्रार्थी की Representation पर व माननीय अदालत के फैसले को नजरअंदाज करते हुए अपनी पुरानी कार्यवाही को जारी रखने का दबाव प्रार्थी को दिया जबकि प्रार्थी का उपरोक्त Financial कम्पनी से कोई लेना देना ना है और ना ही उपरोक्त Financial कम्पनी प्रार्थी से उपरोक्त Flat का कब्जा कानूनी तौर पर ले सकती है । Financial कम्पनी की यह कार्यवाही दोषियों को मदद करने के लिए करने करना चाहती है । जैसा को उपर लिखा है सभी दोशीगण प्रार्थी के उपरोक्त Flat की रजिस्ट्री करने को बाध्य है । जिससे Flat का उपजसम प्रार्थी के नाम हो सके । प्रबंधक Indiabulls ने उपरोक्त आदेश दिनांक 16-01-2019 को Review करने हेतु एक प्रथम पत्र दिनांक 22-02-2019 को माननीय High Court Punjab Haryana Chandigarh में लगाया था जो कि हमाने writ petition नं. CWP 16979 of 2018 को review करने बारे था परन्तु माननीय अदालत ने Review application को अपने आदेश दिनांक 18-03-2019 द्वारा Dismiss कर दिया था । इतना ही Para No.7 में Bank के स्थान पर Financial Institution को स्पष्ट किया था जिसके की यह पूर्णतया स्पष्ट हो जाता है कि Indiabulls को प्रार्थी से किसी प्रकार का कोई Claim करने का हक ना है। प्रार्थी ने इस संदर्भ में अन्य Flat Holder के साथ मिलकर C.M. Window पर शिकायत दर्ज करवाई थी परन्तु न तो दोशीयों के खिलाफ कोई कार्यवाही उपरोक्त संदर्भ में अमल में लाई गई और न ही Flat की Registry प्रार्थी के हक में करवाई गई। यहा यह लिखना भी अनिवार्य है कि Income Tax Department ने भी छळ प्रार्थी के हक में जारी करने का प्रतिवेदन Distt. Town Planner Faridabad के माध्यम से दिनांक 14-01-2019 द्वारा दिया 5- प्रार्थी को अब भी M/s Indiabulls Housing Finance Ltd. से बार बार धमकियां Flat पर कब्जा लेने बारे मिल रही



HARYANA POLICE CITIZEN SERVICES (हरियाणा पुलिस नागरिक सेवा)

FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत)

है जिससे की प्रार्थी का शांतिप्रीय ढंग से उपरोक्त Flat में रहना दुबर कर रखा है । 6 - मान्यवर महोदया, प्रार्थी के साथ उपरोक्त दोषीयों ने आपस में मिलकर सोची समझी साजिस के तहत घोखाधडी कर Flat प्रार्थी को बेचा है वह वर्तमान में गलत ढंग से पनः कब्जा लेना चाहते है अतः मान्यवर महोदय आपसे प्रार्थना है कि उपरोक्त दोषीयों के खिलाफ उचित कार्यवाही FIR दर्ज करे तथा उपरोक्त दोषीयों से प्रार्थी की रजिस्ट्री कराने की निर्देश ताकि संज का जपजसम प्रार्थी के नाम हो सके । 7.

अतः प्रार्थी Sunil Kumar Srivastava पुत्र श्री B.P. Srivastava निवासी Flat No. D 1/304, SRS Residency, Sector-88, Faraidabad आपसे कर वद प्रार्थना करता है कि उपरोक्त प्रबंधको के खिलाफ M/s SRS Real Estate Ltd. प्रबंधक की व M/s Indiabulls Housing Finance Ltd. के खिलाफ उचित कार्यवाही करे चूंकि प्रार्थी ने Flat की सारी रकम जो देय बनती थी अदा कर दी है और प्रार्थी को कोई देनदारी इस Flat बारे न बनती है। M/s SRS Real Estate Ltd. प्रबंधको के खिलाफ उचित कार्यवाही करे। धन्यवाद। प्रार्थी Sd:- Sunil Kumar Srivastava S/o Sh. BP Srivastava Flat No. D-1/304, SRS Residency, Sector-88, Faridabad-121002 Mob.9873222104 Encl. As above C.C. to The Deputy Commissioner, Sector-12, Faridabad in reference to the petition of M/s Indiabulls Housing Finance Ltd. Vs. SRS Real Estate Ltd. Ors. अज थाना :- परिवाद नम्बरान 6660/CCP , 6659/CCP, 6666/CCP दिनांक 13.08.19 बाद जाँच EOW सैल सैन्ट्रल जोन फरीदाबाद से बराये दर्ज अभियोग बजरिया डाक थाना मे प्राप्त होने पर मुकदमा नम्बर 477 दिनांक 11.10.2019 U/S 420,406,120B IPC थाना सैक्टर 31 फरीदाबाद दर्ज कम्प्युटर की जाकर प्रथम सुचना रिपोर्ट की प्रतिया कम्प्युटर से तैयार करके इलाका मैजिस्ट्रेट साहब वा सम्बन्धित अधिकारियो की सेवा मे बजरिया डाक भेजी जाएगी । नकल मिशल पुलिस मय असल परिवाद आगामी तपतीस हेतु हस्ब आदेश अफसरान बाला के निज्द इन्चार्ज EOW सैल सैन्ट्रल जोन फरीदाबाद भेजी जा रही है । नोट:- इन्चार्ज EOW सैल सैन्ट्रल जोन फरीदाबाद की CCTNS ID ना होने के कारण ASI नारायण दत्त को दर्शाया गया है यह मुकदमा ASI भगत सिंह की हाजरी मे दर्ज किया गया है ।

13. **Action taken:** Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया):** or (या)



HARYANA POLICE CITIZEN SERVICES (हरियाणा पुलिस नागरिक सेवा)

FIRST INFORMATION REPORT (Under Section 154 Cr.P.C.)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत)

(2) Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम): Rank (पद): Asst. SI (Assistant Sub-Inspector)
NARAYANA DUTT

No. (सं.): 1900FBD to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)

(3) Refused investigation due to (जांच के लिए): or (के कारण इंकार किया या)

(4) Transferred to P.S. (थाना): District (ज़िला):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature / Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान)
- Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)
- Name (नाम): sandeep kumar
- Rank (पद): I (Inspector)
- No. (सं.): insp
15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):



HARYANA POLICE CITIZEN SERVICES (हरियाणा पुलिस नागरिक सेवा)

FIRST INFORMATION REPORT (Under Section 154 Cr.P.C.)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत)

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused: (If known / seen)

(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण: (यदि ज्ञात / देखा गया))

S. No. (क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date / Year Of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height (cms) (कद (से.मी.))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male					Is Proxitted: Yes
2	Male					Is Proxitted: Yes
3	Male					Is Proxitted: Yes
4	Male					Is Proxitted: Yes
5	Male					Is Proxitted: Yes
6	Male					Is Proxitted: Yes
7	Male					Is Proxitted: Yes
8	Male					Is Proxitted: Yes
9	Male					Is Proxitted: Yes

Deformities / Peculiarities (विकृतियाँ / विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eye (आँखें)	Habit(s)(आदतें)	Dress Habit (s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13



HARYANA POLICE CITIZEN SERVICES (हरियाणा पुलिस नागरिक सेवा)

FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत)

Language/Dialect (भाषा/बोली)	Place of (का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (लुकोदेर्मा(सफ़ेद धब्बे))	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है)